V-4/P

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना

(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

26-02-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–618/2007 में आवेदक **श्री गौतम कुमार सिंह,** पिता–स्व0 सूर्यदेव सिंह, ग्राम–परसा, पो0–नगमा, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर0 रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके पास लगभग 14 एक्कड़ जमीन है, जो तीन जगहो पर है। इसके अलावे एक सिटी राइड बस तथा ट्रैक्टर होने की बात बतायी गयी है। आवेदक द्वारा बताया कि पूर्व में उनके पिता की हत्या हो चुकी है तथा हत्यारा फरार है, जिस कारण हमेशा भय/डर बना रहता है।

पुलिस उप महानिरीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक–179/गो0, दिनांक–09.02.2009 का अवलोकन किया गया। आवेदक के रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन को अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अनुशंसित किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक–1086/गो0, दिनांक–24.06.2008 का अवलोकन किया गया। आवेदक के रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन को अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना एवं थानाध्यक्ष, नौबतपुर द्वारा अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष–नौबतपुर द्वारा प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया गया है कि आवेदक को ग्रामीण अपराधी द्वारा गोली मारा गया था, जिसके संदर्भ में कांड अंकित हुआ। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया, साथ हीं आवेदक के पिता की भी हत्या विक्रम थाना अन्तर्गत हुई थी।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक श्री गौतम कुमार सिंह को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/आशंका है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के

आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री गौतम कुमार सिंह**, पिता–स्व0 सूर्यदेव सिंह, ग्राम–परसा, पो0–नगमा, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति की **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

D:\RANJIT KUMAR\Arms Branch\S.D.C. Letter\Order (Court).doc